भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4791

बुधवार, 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)

4791. श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयातित माल के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख) : गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) मुख्य रूप से बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये क्यूसीओ घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादों के साथ ही आयातित उत्पादों पर भी लागू होते हैं। सरकार का फोकस देश में गुणवत्तापूर्ण इकोसिस्टम के विकास के लिए उत्पादों को क्यूसीओ के दायरे में लाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने पर है। इस प्रकार, सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालय/विभाग क्यूसीओ के दायरे में शामिल किए जाने वाले उत्पादों की पहचान करते हैं।

(ग) : क्यूसीओ के अंतर्गत आने वाले उत्पाद के लिए बीआईएस लाइसेंस प्रदान किये जाने के बाद भी, घरेलू और विदेशी, दोनों विनिर्माण इकाइयों के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण और परीक्षण के लिए निर्धारित स्कीम का अनुपालन किया जाता है। अपने बाजार और फैक्ट्री के निगरानी कार्यकलापों के भाग के रूप में, बीआईएस लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण इकाइयों में निगरानी दौरा करता है और फैक्ट्रियों के साथ-साथ बाजार से भी नमूने एकत्रित करता है और उनका बीआईएस प्रयोगशालाओं या बीआईएस से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाता है।

(घ) : केंद्र सरकार औद्योगीकरण को सुविधा प्रदान करती है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई अनेक योजनाओं/पहलों के माध्यम से उद्योगों को स्थापित करने के प्रयासों में सहायता करती है। उद्योगों की प्रमुख नीतिगत पहलों में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गति शक्ति, औद्योगिक कॉरिडोर, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), जीआईएस समर्थित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नीतिगत सुधार, प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना में बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना निगरानी समूह, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, औद्योगिक पार्क की स्थापना, स्टैंड अप इंडिया, माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कटौती, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के कार्य, अनुपालन बोझ में कमी करने के उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) आदि शामिल हैं।

****